न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 108/ 2016 एवं 107/2016 जिला दौसा

कैलाश चन्द पुत्र कजोडमल, जाति नाई, हाल निवासी– जगदम्बा कॉलोनी, तालेडा, जमात के पास, लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)

अपीलान्ट

बनाम

सन्तोष देवी पुत्री कजोडमल पत्नि सूरजनारायण, जाति नाई उम्र 40 साल, हाल निवासी गोलछा फैक्ट्री के पास, जनता कॉलोनी, प्लाट नं. 20 दौसा (राजस्थान)

कन्टस्टेड रेस्पोंडेन्ट

1. नारंगी बेवा कजोडमल , जाति नाई , हाल निवासी– जगदम्बा कॉलोनी, तालेडा, जमात के पास, लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)
2. मन्जू पुत्री कजोडमल पत्नि सत्यनारायण, हाल निवासी रतनपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)
3. आचुकी पुत्री कजोडमल पत्नि औम प्रकाश, हाल निवासी रतनपुरा, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)
4. किरण पुत्री कजोडमल पत्नि मुन्ना लाल हाल निवासी प्लाट नम्बर 166/46–47 श्री रामनगर रोड नम्बर 17, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा (राजस्थान)

प्रोफार्मा रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी, लालसोट, जिला दौसा
दिनांक 13.7.2015 एवं
आज्ञा तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 25.2.2016

उपस्थित –
1. वकील अपीलान्ट श्री भगवान सहाय शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री राजकुमार शर्मा

निर्णय

दिनांक – 27.11.2018

यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 एवं 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी, लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 13.7.2015 एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 25.2.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों

का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्र्राम कोलीवाडा, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा में हिस्सा 1/4 तथा खसरा नम्बर 191/2 रकबा 8 बीघा में हिस्सा 1/2 तथा ग्र्राम हरिपुरा, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा स्थित अराजी खसरा नम्बर 154 रकबा 48 बीघा 18 बिस्वा में हिस्सा 1/8 का खातेदार कजोडमल पुत्र हीरा लाल नाई था। खातेदार कजोडमल के फौत होने पर ग्र्राम कोलीवाडा स्थित आराजी का नामांतरकरण संख्या 299 एवं ग्र्राम हरिपुरा स्थित आराजी का नामांतरकरण संख्या 164 उसके पुत्र अपीलान्ट कैलाश चन्द पुत्र कजोडमल व रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 नारंगी देवी बेवा कजोडमल के नाम ग्र्राम पंचायत कोलीवाडा द्वारा वसीयत/विरासत के आधार पर दिनांक 13.8.1998 को तस्दीक किये गये । उक्त दोनों नामांतरकरण संख्या 299 एवं 164 दिनांक 13.8.98 से व्यथित होकर अपीलान्ट सन्तोष देवी पुत्री कजोडमल द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प में दिनांक 13.7.2015 को पारित कर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 299 व 164 दिनांक 13.8.98 ग्र्राम पंचायत कोलीवाडा खारिज किये गये तथा प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वारिसान की जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 13.7.2015 से प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को रिमाण्ड होने पर इसकी अनुपालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा ने निर्णय दिनांक 25.2.2016 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 299 व 64 दिनांक 13.8.98 वाके ग्र्राम कोलीवाडा व हरीपुरा, तहसील रामगढ पचवारा में स्थित वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 191/2 रकबा 8 बीघा वाके ग्र्राम कोलीवाडा व खसरा नम्बर 154 रकबा 48 बीघा 18 बिस्वा ग्र्राम हरीपुरा में स्वर्गीय कजोडमल पुत्र हीरा लाल , जाति नाई की खातेदारी व पैतृक कृषि भूमि अंकित भी उक्त नामांतरकरण में मृतक कजोडमल के समस्त वारिसान के हक में तस्दीक नहीं किये जाने से प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जाना न्यायोचित मानते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 299 व 164 दिनांक 13.8.98 निरस्त किये जाकर खारिज किये गये एवं हल्का पटवारी को आदेश दिये गये कि मृतक कजोडमल के हिस्से में आई भूमि का समस्त वारिसान 1 कैलाश, 2 नांरगी देवी, 3 सन्तोष, 4 मंजू, 5 आचुकी, 6 किरण के हक में पुनः नये नामांतरकरण दर्ज कर तस्दीक करावें ।

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उक्त निर्णय दिनांक 13.7.2015 एवं इसकी पालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.2.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट कैलाश चन्द पुत्र कजोडमल द्वारा यह पृथक पृथक अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक 13.7.2015 एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 25.2.2016 खारिज किये जाने की प्रार्थना की ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपील संख्या 108/16 में अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उप खण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.7.2015 राजस्व लोक अदालत कैम्प में अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बिना जवाबदेही साक्ष्य, बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये एकपक्षीय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी दिनांक 26.5.2015 नियत थी, लेकिन दिनांक 13.7.2015 को अचानक राजस्व लोक अदालत कैम्प डोब में निर्णय पारित कर नामांतरकरण संख्या 299 व 164 खारिज करने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है । उनका कहना था कि न्याय का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्याय किया ही नहीं जाना चाहिये बल्कि यह परिलक्षित भी होना चाहिये कि न्याय किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील 16 साल की देरी से प्रस्तुत की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के संबंध में कोई निर्णय/अभिमत अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया । मियाद का बिन्दु भी विधि का महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर निर्णय करना चाहिये था । यदि विलम्ब के कारण संतोषजनक एवं उचित पाये जाते तो विलम्ब को क्षमा कर गुणावगुण पर निर्णय किया जाता अन्यथा अपील मियाद बाहर होने के आधार पर ही खारिज की जाती, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के संबंध में कोई निर्णय नहीं किया । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरणों में संतोष देवी पक्षकार नहीं थी इसलिये उसके द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी ने कोई अभिमत व्यक्त नहीं किये, जो कानूनन आवश्यक थे । संतोष देवी ने विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 184 के संबंध में वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान के उत्तराधिकार को लेकर घोषणा होनी है । उप खण्ड अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया एवं न ही प्रश्नगत नामांतरकरण तलब किये गये तथा दो नामांतरकरणों की एक ही अपील प्रस्तुत की थी जबकि कानूनन अलग अलग नामांतरकरण की अलग अलग अपीलें प्रस्तुत करनी चाहिये थी । उप खण्ड अधिकारी ने अपीलान्ट को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया था जिसका ज्ञान होने पर आदेश की नकल प्राप्त कर मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील प्रस्तुत की है । न्यायहित में प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुये प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षमा किया जावे तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी लालसोट दिनांक 13.7.2015 निरस्त किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील संख्या 107/16 में अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णय दिनांक 13.7.2015 की क्रियान्विति सम्भागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 9.3.16 द्वारा आगामी पेशी दिनांक 30.5.2016 तक स्थगित की जाकर मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये

रखने के आदेश पारित किये गये थे । इस प्रकार तहसीलदार रामगढ पचवारा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.2.2016 निरस्नीय है । उनका कहना था कि अपीलार्थी ने तहसीलदार के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.15 एवं 9.2.16 को प्रस्तुत किया था कि उप खण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 13.7.15 को न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष चुनौती दी हुई है इसलिये प्रकरण में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही स्थगित की जावे । उनका कहना था कि रेस्पोंडेन्ट तहसीलदार के समक्ष बयान हेतु उपस्थित नहीं हुई, प्रकरण जवाब के पश्चात सीधे निर्णय हेतु नियत किया गया तथा बहस पक्षकारान सुने बिना ही निर्णय पारित किया है , जो विधिक नहीं होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि सन्तोष देवी द्वारा प्रस्तुत वाद में उत्तराधिकार के संबंध में निर्णय होना है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कानूनी सिद्धान्तों की अवहेलना कर पारित किया है, जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 25.2.2016 निरस्त किया जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 424 एवं आर.आर.डी. 1994 पेज 11, आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 364, आर.आर.डी. 1979 पेज 89, आर.आर.डी. 1994 पेज 85 , आर.आर.डी. 1984 पेज 111, आर.आर.डी. 1984 पेज 669, आर.आर.डी. 1984 पेज 879, आर.आर.टी. 2016 (1) पेज 333, आर.ार.टी. 2015 1) पेज 64, आर.आर.टी. 2015 (1) पेज 690, आर.आर.डी. 1991 पेज 164 की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में अपीलों का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक भूमि है तथा खातेदार कजोडमल था । मृतक खातेदार कजोडमल के जायन्दा वारिसान कैलाश (पुत्र), नारंगी (बेवा), किरण, मंजू, आचुकी, संतोष (पुत्रियॅा) थी, लेकिन कजोडमल के फौत होने पर उसकी विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा मृतक के विधिक वारिसान की जॅाच किये बिना केवल कैलाश पुत्र कजोडमल एवं नारंगी बेवा कजोडमल के नाम तस्दीक कर दिये , जो विधिसम्यक नहीं होने से रेस्पोंडेन्ट संतोष देवी पुत्री कजोडमल द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष प्रस्तुत की । उनका कहना था कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मृतक कजोडमल के विधिक वारिसान उसके पुत्र, पुत्रियॅा एवं विधवा पत्नी थी । ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया, जबकि किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि ग्रम पंचायत द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व मृतक के विधिक वारिसान की भी जॅाच नहीं की । रेस्पोंडेन्ट ग्रमीण परिवेश की सीधी साधी ग्रहणी महिला है जिसे प्रश्नगत नामांतरकरणों की जानकारी समय पर नहीं हो पाई एवं दिनांक 16.11.2014 को भूमि पर खेती का कार्य कर रही थी तो अपीलान्ट दीगर व्यक्तियों को साथ लेकर आये ओर कहा कि जमीन हमारी है , नामांतरकरण हमारे नाम खुल चुका है । इस पर रेस्पोंडेन्ट ने कहा कि यह मेरे पिता की भूमि है इसमें मेरा भी हिस्सा है । पटवारी हल्का से जानकारी कर नामांतरकरणों की नकलें लेकर अधीनस्थ न्यायालय में मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत की थी । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने प्रकरण के तथ्यों

चित्र। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

को देखते हुये निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प में दिनांक 13.7.2015 को पारित कर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 299 व 164 दिनांक 13.8.98 ग्रम पंचायत कोलीवाडा खारिज किये गये तथा तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वारिसान की जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा निर्णय दिनांक 25.2.2016 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 299 व 164 दिनांक 13.8.98 वाके ग्रम कोलीवाडा व हरीपुरा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 191/2 रकबा 8 बीघा वाके ग्रम कोलीवाडा व खसरा नम्बर 154 रकबा 48 बीघा 18 बिस्वा ग्रम हरीपुरा में स्वर्गीय कजोडमल पुत्र हीरा लाल , जाति नाई की खातेदारी व पैतृक कृषि भूमि अंकित भी उक्त नामांतरकरण में मृतक कजोडमल के समस्त वारिसान के हक में तस्दीक नहीं किये जाने से प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जाना न्यायोचित मानते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 299 व 164 दिनांक 13.8.98 निरस्त किये जाकर खारिज किये गये एवं हल्का पटवारी को आदेश दिये गये कि मृतक कजोडमल के हिस्से आई भूमि का समस्त वारिसान 1 कैलाश, 2 नारगीदेवी, 3 सन्तोष, 4 मंजू, 5 आचुकी, 6 किरण के हक में पुनः नये नामांतरकरण दर्ज कर तस्दीक करावें । अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी लालसोट दिनांक 13.7.2015 एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 25.2.2016 उचित एवं विधिसम्यक है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे एवं अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जावे ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकन किया । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि के खातेदार कजोडमल की विरासत के नामांतरकरणों का है । मृतक खातेदार कजोडमल की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा अपीलान्ट कैलाश चन्द पुत्र कजोडमल एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 नारंगी बेवा कजोडमल के नाम स्वीकार किये हैं, जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 सन्तोष देवी, रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 मंजू, 4 आचुकी, 5 किरण मृतक खातेदार कजोडमल की पुत्रियां होने से अपने पिता की भूमि में हक चाहती है तथा प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ प्रस्तुत अपील को उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने निर्णय राजस्व लोक अदालत कैम्प में दिनांक 13.7.2015 को पारित कर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 299 व 164 दिनांक 13.8.98 ग्रम पंचायत कोलीवाडा खारिज किये गये तथा तहसीलदार रामगढ पचवारा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वारिसान की जॉच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा ने निर्णय दिनांक 25.2.2016 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 299 व 164 दिनांक 13.8.98 वाके ग्रम कोलीवाडा व हरीपुरा तहसील रामगढ पचवारा में स्थित वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 184 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 191/2 रकबा 8 बीघा वाके ग्रम कोलीवाडा व खसरा नम्बर 154 रकबा 48 बीघा 18 बिस्वा ग्रम हरीपुरा में स्वर्गीय कजोडमल पुत्र हीरा लाल , जाति नाई की खातेदारी व पैतृक कृषि भूमि अंकित भी उक्त नामांतरकरण में मृतक कजोडमल के समस्त वारिसान के हक में तस्दीक नहीं किये जाने से प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जाना न्यायोचित मानते हुये प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 299 व 164 दिनांक 13.8.98 निरस्त

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

किये जाकर खारिज किये गये एवं हल्का पटवारी को आदेश दिये गये कि मृतक कजोडमल के हिस्से आई भूमि का समस्त वारिसान 1 कैलाश, 2 नांरगीदेवी, 3 सन्तोष, 4 मंजू, 5 आचुकी, 6 किरण के हक में पुनः नये नामांतरकरण दर्ज कर तस्दीक करावें ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि के खातेदार कजोडमल की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण ग्राम पंचायत द्वारा मृतक के विधिक अन्य वारिसान को छोडते हुये केवल एक पुत्र कैलाश व पत्नि नानंगी के नाम तस्दीक किया जाना उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । उप खण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 13.7.2015 द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट संतोष की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 299 व 164 दिनांक 13.8.98 ग्राम पंचायत कोलीवाडा खारिज किये गये तथा प्रकरण तहसीलदार रामगढ पचवारा को वारिसान की जॅाच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया , जो उचित एवं विधिसम्यक है । प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित होने पर तहसीलदार रामगढ पचवारा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.2.2016 से विवादित भूमि के खातेदार कजोडमल के विधिक वारिसान उसके पुत्र कैलाश, पत्नी नारंगी देवी, पुत्रियॅा सन्तोष, मंजू, आचुकी व किरण के नाम नामांतरकरण खोलने के आदेश दिये हैं । अपीलान्ट कैलाश चन्द को तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जा चुका है । हम समझते हैं कि उप खण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 13.7.2015 एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा ने आदेश दिनांक 25.2.2016 द्वारा मृतक कजोडमल की विरासत के नामांतरकरण मृतक कजोडमल के विधिक पुत्र – पुत्रियॅा एवं पत्नि के नाम खोलने का आदेश दिया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा इनमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं तथा दोनों अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर